राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (156) वन/2022 जयपुर, दिनांकः—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters)(FP/RJ/TRANS/145262/2021)

संदर्भः— आपका पत्रांक 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/7378 दिनांक 07.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा—2 में Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220KV GSS Badisid to Railway TSS Bap हेतु 0.1004 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.09.2023 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/7378 दिनांक 07.09.2023 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा—2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) (FP/RJ/TRANS/145262/2021) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से एवं निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर झाड़ी/बौने (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर [illegible] वन संरक्षक से [illegible] करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करावा जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में [illegible] पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.31 17:37:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 4994868

10. सैद्वांतिक स्वीकृति दिनांक 01.09.2023 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
13. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
14. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. **आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना का दायित्व विभाग/संबंधित संस्था का होगा।**

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी—ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जोधुपर।
5. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
6. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
7. सहायक अभियंता, 132 के.वी. जी.एस.एस., एम.बी.एम., इंजिनियरिंग कॉलेज, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

RajKaj Ref
4994868

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.10.31 17:37:32 IST
Reason: Approved